समापन भाषण

माननीय सदस्यगण, पंचम झारखण्ड विधान सभा के षष्टम् (मॉनसून) सत्र जो दिनांक-03 सितम्बर, 2021 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक-09 सितम्बर, 2021 को समाप्त हो रहा है। इस सत्र में कुल-05 बैठकें हुई। दिनांक-03 सितम्बर, 2021 को माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित एक अध्यादेश की प्रति सभा पटल पर रखी गयी। विगत् सत्रों में उदभूत एवं सभा में पारित विधेयकों की विवरणी सभा पटल पर रखी गयी जिस पर माननीय राज्यपाल महोदय ने अपनी अनुमति प्रदान की। पंचम झारखण्ड विधान सभा के पंचम (बजट) सत्र में विभिन्न विषयों पर सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों से सम्बन्धित कृत कार्रवाई प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी गई।

इस छोटे से सत्र में 103 अल्पसूचित, 203 तारांकित एवं 82 अतारांकित प्रश्न सहित कुल 388 प्रश्न स्वीकृत हुए। इनमें से 07 अल्पसूचित, 02 तारांकित प्रश्न सदन में उत्तरित हुए। कुल 300 प्रश्नों के उत्तर विभाग से प्राप्त हुए। सरकार के 14 विभागों ने अपने शत-प्रतिशत उत्तर ऑनलाईन प्रश्नोत्तर व्यवस्था के माध्यम से उत्तर दिये। इस सत्र में कुल 20 ध्यानाकर्षण सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत किये गये। साथ ही कुल 44 निवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 27 निवेदनों को स्वीकृत किया गया। शून्यकाल के माध्यम से 89 सूचनायें स्वीकृत की गई।

इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित कुल 8 विधेयक भी पारित हुए, जिनमें से प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक, 2021, झारखण्ड खुला विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 प्रमुख है। इसके साथ ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद (समग्र शिक्षा) के प्रतिवेदनों का भी उपस्थापन किया गया।

मैं सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों, झारखण्ड सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों, प्रेस प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित आरक्षी बल के जवानों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने लगन, निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है।

माननीय सदस्यगण, संसदीय लोकतंत्र में विधायका का स्थान अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। यह पवित्र स्थल अंतिम सम्प्रभू झारखण्ड के साढ़े तीन करोड़ लोगों के प्रति पूरी सरकारी मशीनरी को उत्तरदायी एवं संवेदनशील बनाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। पूरे वर्ष में सीमित समय के लिए हम यहाँ बैठते हैं और आपके प्रश्नों एवं सूचनाओं के माध्यम से सरकारी व्यवस्थाओं को अपने कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं परन्तु सदन में अनावश्यक व्यवधान से इस पुनीत कर्तव्य का पालन होता मुझे नहीं दिखता।

माननीय सदस्यगण, पक्ष और विपक्ष सदन में अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में शासन पक्ष के द्वारा चलाया जाता है लेकिन विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है। वाद-विवाद प्रतिरोध लोकतंत्र के अलंकार हैं परन्तु व्यवधान की उष्मा से जनहित के मुद्दे दिशाहीन हो जाते हैं।

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि झारखण्ड विधान सभा के आगामी सत्रों में आप सभी माननीय सदस्यगण अपनी सक्रिय और सकारात्मक भागीदारी निभायेंगे और पक्ष-विपक्ष दोनों का सहयोग मुझे प्राप्त होगा।

माननीय सदस्यगण, आप सभी को पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ तथा आने वाले पर्व त्योहारों गणेश चतुर्थी, करमा तथा शारदीय नवरात्र की अग्रिम बधाई देता हूँ।

अब सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।